भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2486

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

बैंकों द्वारा ऋणों की माफी

2486. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से 2020 के बीच सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितना ऋण माफ किया गया;

(ख) उक्त समय में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में जमा गैर-निष्पादित आस्तितयों की मात्रा कितनी है; और

(ग) सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में जमा अशोद्य ऋण को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2013-14* से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक की अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) ने क्रमश: 7,10,002 करोड़ रुपये और 1,78,622 करोड़ रुपये की कुल गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल दिया। (*वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आरबीआई के आँकड़ें घरेलू परिचालन के लिए हैं, जबकि अन्य वित्तीय वर्ष के लिए आँकड़ें वैश्विक परिचालन के लिए हैं।)

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक चार साल पूरे होने पर एनपीए को बट्टे खाते में डाल देते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वे एनपीए भी शामिल हैं जिनके संबंध में पूर्ण प्रावधानिकरण किया जा चुका है। इस तरह के बट्टे खाते डालने से उधारकर्ताओं की देनदारियों को माफ नहीं किया जाता है और इसलिए, इससे उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बैंक इन खातों में शुरू की गई वसूली की कार्रवाइयों को जारी रखते हैं। इसके अलावा, बट्टे खाते डाले गए ऋणों की वसूली एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और बैंक अपने पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्र के अंतर्गत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

(ख): उपर्युक्त अवधि के दौरान पीएसबी और पीवीबी में एनपीए में नई अभिवृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**पीएसबी**	**पीवीबी**
2013-14	आरबीआई के पास आँकड़ें उपलब्ध नहीं हैं	
2014-15	1,70,955	26,099
2015-16	3,98,822	47,116
2016-17	3,38,710	79,560
2017-18	4,32,630	1,02,846
2018-19	2,07,687	88,027
2019-20	2,10,960	1,25,518

स्रोत: आरबीआई, वित्तीय वर्ष 2014-15 से वैश्विक परिचालन

(ग): एनपीए की वसूली, उसे कम करने और रोकने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा व्यापक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) पीएसबी सुधार एजेंडा के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में व्यापक और स्वचलित पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) स्थापित की गई थी, जिसमें लगभग 80 ईडब्ल्यूएस ट्रिगर और उधार लेने वाले खातों में समयबद्ध उपचारात्मक कार्रवाइयों के लिए तीसरे पक्ष के आंकड़ों का उपयोग किया गया था ताकि दबाव का सक्रिय रूप से पता लगाया जा सके और बदले में एनपीए में होने वाले स्लिपेज को कम किया जा सके।

(ii) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के साथ ऋणदाता और उधारकर्ता संबंध को मौलिक रूप से बदलने के साथ, 'कब्जे में देनदार' से 'नियंत्रण में लेनदार' की ओर बढ़ने से ऋण संस्कृति में बदलाव आया है। आईबीसी के व्यवहार संबंधी प्रभाव को इस तथ्य से देखा जा सकता है कि मार्च 2025 तक, 13.78 लाख करोड़ रुपये के अंतर्निहित चूक वाले 30,000 से अधिक आवेदनों को स्वीकृति के पूर्व चरण में ही निपटाया जा चुका है। इसके अलावा, कॉरपोरेट शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रियाओं (सीआईआरपी) को पूरा करने में देरी को दूर करने के लिए आईबीसी में विभिन्न संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है जो विधायी अनुमोदन के अध्यधीन हैं।

(iii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) और ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किया गया है। सरफेसी में मुख्य संशोधनों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, भारतीय रिजर्व बैंक को परिसंपत्ति पुनर्नर्माण कंपनियों (एआरसी) की लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने और अनुपालन न करने के लिए दंड लगाने का अधिकार दिया गया है; भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ सभी सुरक्षा हितों का अनिवार्य पंजीकरण; मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त डीआरटी का सृजन किया गया है; गैर-संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करने में सक्षम बनाया गया है।

(iv) डीआरटी के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया ताकि डीआरटी को उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया जा सके जिसके परिणामस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए उच्च वसूली हुई।

(v) पीएसबी ने एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और केंद्रित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्षेत्रों और शाखाओं की स्थापना की है, जो त्वरित और बेहतर समाधान/वसूली की सुविधा प्रदान करता है। कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) की तैनाती और फीट-ऑन-स्ट्रीट मॉडल को अपनाने से भी बैंकों में एनपीए की वसूली को बढ़ावा मिला है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 7 जून, 2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा जारी किया गया था ताकि ऋणदाताओं को समाधान योजना को शीघ्र अपनाने के लिए अंतर्निहित प्रोत्साहन के साथ दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान, रिपोर्टिंग और समयबद्ध समाधान की रूपरेखा प्रदान की जा सके।

*****